न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 15/268

1. मोती आयु 58 वर्ष आत्मज श्री रतना जाति चमार (बैरवा) ।
2. कजोड आयु 45 वर्ष आत्मज श्री रतना जाति चमार (बैरवा) ।
3. राधाकिशन आयु 60 वर्ष आत्मज श्री रतना जाति चमार (बैरवा) निवासीगण ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बून्दी जिला बून्दी ।
2. श्रीमान् तहसीलदार साहब नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. श्रीमान् सहायक अभियन्ता महोदय, सिंचाई विभाग नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री नवेद केसर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 25.04.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी की आराजी पुराने खसरा नम्बर 326 रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 423 सम्पूर्ण रकबा 20 बीघा 03 बिस्वा के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादीगण का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि उक्त पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में तलबी में चल रही थी । पत्रावली

बिना सूचना के कैम्प कोर्ट में रखते हुए अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही राजस्व लोक अदालत में निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिकी दिनांक 17.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी सिंचाई विभाग के नाम गै0मु0 तलाब दर्ज है । उक्त भूमि डूब क्षेत्र में आती है, तलाब की भूमि पर काश्तकारी अधिनियमों के तहत किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिकी पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 17.06.2015 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं साक्ष्य दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने जिस भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया है वह गै0मु0 तलाब भूमि है जो सिंचाई विभाग के नाम दर्ज है । उक्त भूमि डूब क्षेत्र में आती है, तलाब की भूमि पर काश्तकारी अधिनियमों के तहत किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते ।

9. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिकी का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिकी पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिकी से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिकी दिनांक 17.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 25.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15/268

1. मोती आयु 58 वर्ष आत्मज श्री रतना जाति चमार (बैरवा) ।
2. कजोड आयु 45 वर्ष आत्मज श्री रतना जाति चमार (बैरवा) ।
3. राधाकिशन आयु 60 वर्ष आत्मज श्री रतना जाति चमार (बैरवा) निवासीगण ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बून्दी जिला बून्दी ।
2. श्रीमान् तहसीलदार साहब नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. श्रीमान् सहायक अभियन्ता महोदय, सिंचाई विभाग नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 138/दावा/2012

1. मोती आयु 58 वर्ष आत्मज श्री रतना जाति चमार (बैरवा) ।
2. कजोड आयु 45 वर्ष आत्मज श्री रतना जाति चमार (बैरवा) ।
3. राधाकिशन आयु 60 वर्ष आत्मज श्री रतना जाति चमार (बैरवा) निवासीगण ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बून्दी जिला बून्दी ।
2. श्रीमान् तहसीलदार साहब नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. श्रीमान् सहायक अभियन्ता महोदय, सिंचाई विभाग नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी .के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 25.04.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री नवेद केसर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 17.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है

यह डिक्री आज तारीख 25.04.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

2

पक्ष समथन स्वीकार है।